

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 142/2022

निर्णय दिनांक :- 26/5/22

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. अहसान पुत्र सलामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. जयकुमार पुत्र विमल कुमार जाति महाजन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. विनोद कुमार पुत्र मिलापचंद जाति महाजन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रार्थी पक्ष—

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

—अप्रार्थी पक्ष—


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 406 खसरा नं0 1600 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.42 है0 व खाता संख्या 407 खसरा नम्बर 1602 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में अंकित खाता संख्या 406 खसरा नं0 1600 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.42 है0 व खाता संख्या 407 खसरा नम्बर 1602 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम नासिरदा की विधिवत् पत्थरगढी की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


(भारत भूषण गायल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली